

कार्यपालक अभियन्ता का कार्यालय

दिनांक- 15-09-2022

सेवा में,

कार्यपालक अभियन्ता,
ग्रामीण कार्य विभाग,
कार्य प्रमंडल, सासाराम-2

विषय:-

योगदान समर्पित करने के संबंध में।

प्रसंग:-

अभियन्ता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग का ज्ञापांक-4/ अ0प्र0-1-10/ 2022-4568/ पटना, दिनांक-30.08.2022 एवम् कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-1 का ज्ञापांक-2135/बगहा-1, दिनांक-12.09.2022।

महाशय,

उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि अभियन्ता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग के कार्यालय आदेश संख्या-4/अ0प्र0-1-10/2022-221/पटना, दिनांक-30.08.2022 सहपठित ज्ञापांक-4/ अ0प्र0-1-10/ 2022- 4568/ पटना, दिनांक-30.08.2022 के आलोक में कार्य प्रमंडल, बगहा-1 के कार्य प्रशाखा, लौरिया-01 से स्थानान्तरण के उपरान्त कार्य प्रमंडल, सासाराम-2 के कार्य प्रशाखा, काराकाट-01 में किया गया है। जिसके आलोक में कार्यपालक अभियन्ता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-1 का ज्ञापांक-2135/बगहा-1, दिनांक-12.09.2022 से विरमित हो चुका हूँ।

अतः उक्त के आलोक में मैं आज दिनांक- 15-09-22 के 310 में अपना योगदान समर्पित करता हूँ।

कृपया इसे स्वीकार करें।

- अनु0:-
1. ज्ञापांक-4568/ पटना, दिनांक-30.08.2022।
 2. ज्ञापांक-2135/बगहा-1, दिनांक-12.09.2022।

विश्वासभाजन,

Santosh Kumar Choudhary
15-09-2022
(संतोष कुमार चौबे)
कनीय अभियन्ता
ग्रामीण कार्य विभाग

61

15.09.2022

बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0सं0:-4/अ0प्र0-1-10/2022 - 221

/पटना दिनांक- 30.08.2022

ग्रामीण कार्य विभाग संवर्ग के निम्नांकित कनीय अभियंताओं को कार्यहित में उनके नाम के सम्मुख कॉलम सं0-04 में अंकित कार्य प्रमंडल/कार्य प्रशाखा से स्थानान्तरित करते हुए कॉलम सं0-05 में अंकित कार्य प्रमंडल/कार्य प्रशाखा में पदस्थापित कर कॉलम सं0-06 में अंकित कार्य प्रशाखा का अतिरिक्त प्रभार अगले आदेश तक के लिए प्रदान किया जाता है:-

क्र0 सं0	कनीय अभियंता (असैनिक) का नाम	गृह जिला	वर्तमान पदस्थापित कार्य प्रमंडल का नाम	नवपदस्थापित कार्य प्रमंडल का नाम	अतिरिक्त प्रभार के रूप में प्राप्त कार्य प्रशाखा का नाम
1	2	3	4	5	6
1	श्री संतोष कुमार चौबे	गोपालगंज	कार्य प्रमंडल, बगहा-01, कार्य प्रशाखा, लौरिया-01	कार्य प्रमंडल, सासाराम-02, कार्य प्रशाखा, काराकाट-01	-
2	श्री अशोक कुमार पाल	देवरिया (उ0प्र0)	कार्य प्रमंडल, अरेराज, कार्य प्रशाखा, अरेराज-01	कार्य प्रमंडल, बगहा-01, कार्य प्रशाखा, बगहा-1-1	-
3	श्री आलोक भूषण	नालन्दा	कार्य प्रमंडल, किशनगंज-01, कार्य प्रशाखा, कोचाधामन-01	कार्य प्रमंडल, बगहा-01, कार्य प्रशाखा, रामनगर-01	कार्य प्रशाखा, रामनगर-02
4	श्री राजन कुमार	भागलपुर	कार्य प्रमंडल, मनिहारी, कार्य प्रशाखा, मनिहारी-01	कार्य प्रमंडल, वायसी, कार्य प्रशाखा, डगरूआ-01	कार्य प्रशाखा, डगरूआ-02
5	श्री विद्यानन्द प्रसाद	रोहतास	कार्य प्रमंडल, आरा, कार्य प्रशाखा, कोईलवर-1	कार्य प्रमंडल, त्रिवेणीगंज, कार्य प्रशाखा, छातापुर-1	कार्य प्रशाखा, छातापुर-2

Office Order

(Handwritten signature)

6	श्री मिथिलेश कुमार सिंह	दरभंगा	कार्य प्रमंडल, रक्सौल, कार्य प्रशाखा, रक्सौल-02	कार्य प्रमंडल, रोसड़ा, कार्य प्रशाखा, सिंधिया-01	-
---	-------------------------	--------	---	--	---

2. उक्त प्रस्ताव पर विभागीय सचिव का अनुमोदन प्राप्त है।
3. यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-10/2022 4568

/पटना, दिनांक-30.08.2022

प्रतिलिपि:- मुख्य अभियंता-1, 2, 3 एवं 4, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, बेतिया, सासाराम, मोतिहारी, किशनगंज, पूर्णियाँ, आरा, मधेपुरा एवं समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, बगहा-01, सासाराम-02, अरेराज, किशनगंज-01, मनिहारी, वायसी, रक्सौल, रोसड़ा, आरा एवं त्रिवेणीगंज तथा अन्य सभी संबंधित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

1. संबंधित नियंत्री पदाधिकारी सुनिश्चित करेंगे की संबंधित कनीय अभियंता को नए स्थान पर वेतन का भुगतान पूर्व स्थान से एल0पी0सी0 प्राप्त होने के उपरान्त किया जाय। यह भी सुनिश्चित किया जाय कि सम्बन्धित कनीय अभियंता का सेवा पुस्त पूर्व के स्थान से अद्यतन सत्यापन कर प्राप्त कर ली गयी है।
2. संबंधित कनीय अभियंता का वेतन प्रमाण-पत्र प्राप्त होने पर यह देख लिया जाय कि उनके नाम से कार्य मद में कोई अग्रिम लंबित है या नहीं। यदि ऐसा कोई राशि लंबित हो, तो संबंधित कनीय अभियंता को आदेश दिया जाय कि पूर्व पदस्थापन स्थान से लिये गए अग्रिम का नियमानुकूल समायोजन कराकर समायोजन संबंधी प्रमाण पत्र नियंत्री पदाधिकारी को उपलब्ध करायें, यह प्रमाण पत्र उपलब्ध कराए बिना कार्य के लिए कोई अग्रिम नहीं दिया जाएगा।
3. सभी संबंधित कार्यपालक अभियंता को निदेश दिया जाता है कि वे एक सप्ताह के अन्दर सभी संबंधित कनीय अभियंता को नवपदस्थापित स्थान पर योगदान देने हेतु उन्हें विधिवत विरमित करना सुनिश्चित करेंगे। साथ ही एतद् संबंधी विरमन प्रतिवेदन से विभाग को भी अवगत कराना सुनिश्चित करेंगे।

अभियंता प्रमुख।

ज्ञापांक:-4/अ0प्र0-1-10/2022 4568

/पटना, दिनांक-30.08.2022

प्रतिलिपि:-माननीय उप मुख्य (ग्रामीण कार्य) मंत्री, बिहार के आप्त सचिव/सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के प्रधान आप्त सचिव एवं अभियंता प्रमुख, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/निजी सहायक को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख।

P.T.O.